# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

**पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)**

राजस्व वाद संख्याः– 1 / 93 / 2023 दायर दिनांकः– 01 / 93 / 2023

जीसीएमएस नं०:– 2023 / 134 निर्णय दिनांकः– 16 / 01 / 2025

वउनवान

1. मुरारीलाल पुत्र शिवनारायण जाति ब्रहमण निवासी बसेठ
2. श्याम सुन्दर पुत्र शिवनारायण जाति ब्रहमण निवासी बसेठ तहसील कठूमर जिला अलवर।

—————— वादीगण

बनाम

1. घनश्याम पुत्र शिवनारायण जाति ब्रहमण निवासी बसेठ।(तर्क)
2. अरूण पुत्र प्रकाश जाति यादव निवासी रामगढ।
3. बृजेश पुत्र डालचन्द जाति यादव निवासी रामगढ।
4. नरेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी बसेठ।
5. राजेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी बसेठ।
6. तहसीलदार कठूमर।

———— प्रतिवादीगण

**दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955.**

उपस्थितिः– 1.श्री सुभाषचन्द शर्मा–अधिवक्ता वादीगण
2.श्री देवेन्द्र यादव– अधिवक्ता प्रतिवादीगण 1 से 3

## –:निर्णयः–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 102 रकबा 1.01 हैक्ट0, 166 रकबा 0.80 हैक्ट0, 167, रकबा 2.05 हैक्ट0, वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अब पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडे होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है। इस वजह से फसल कम पैदा होती है। वादीगण विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है, जो विवादित आराजी में वादीगण के 1/2 हिस्सा के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है, एवं झगडा करते है। बिना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी तकासमा कराने प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 03.07.2023 को प्रतिवादीगण 1 से 3 व उनके अधिवक्ता हाजिर अदालत आये जिन्होने न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश कर वाद जॉच तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। एवं शेष प्रतिवादी 4 दिनांक 18.03.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब पेश नहीं करना चाहा गया। दिनांक 28.05.2024 को श्री देवेन्द्रसिंह एड0 ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 जा0 दी0 पेश किया गया जिस पर बहस वकुलाय सुनी गई जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा कोई ऐतराज नहीं जताया गया जिसके कारण प्रार्थना पत्र ऑर्डर 1 नियम 10 जा0 दी0 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को दावा से तर्क कर उनके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 अरूण एवं प्रतिवादी संख्या 3 ब्रजेश संशोधित टाइटल पेश कर उक्त प्रकरण की श्रखंला में नाम जोडे गये जिनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने दिनांक 10.01.2025 को इकबाल् जवाब प्रस्तुत किया गया शामिल मिसल किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता दौराने बहस अपने वाद को मुताविक राजीनामा के अनुसार खसरा नम्बर 102 में रास्ते के सहारे–सहारे तर्फ दक्षिण का हिस्सा श्यामसुन्दर तथा उसके सहारे मुरारी, तथा मुरारी के सहारे अरूण व बृजेश व अरूण व बृजेश के सहारे राजेश व नरेश के हक में आया है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 166 में तर्फ दक्षिण का 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 का तथा उसके तर्फ

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

उत्तर में 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का एवं शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के कब्जे में रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 167 में से तर्फ दक्षिण प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 1/4 हिस्सा व तर्फ उत्तर को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्सा तथा 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 मुरारी का तथा शेष 1/4 हिस्सा तर्फ उत्तर वादी संख्या 2 श्यामसुन्दर का रहेगा। दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2076–79 वाके ग्राम बसेठ की सत्यप्रतिलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, राजीनामा , इकबाल जवाब, प्रस्तुत जमाबन्दी वाके ग्राम बसेठ का अवलोकन किया गया, बहस वकुलाय पर मनन किया गया, प्रस्तुत जमाबन्दी में विवादित आराजी वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी को वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की होना व विवादित आराजी पर शामलात में काश्त करना जाहिर किया है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी का वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की होना व कानूनी तकासमा नहीं होना अवट होने का अनुमान किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा/सहमती के आधार पर दावा वादीगण अंतिम रूप डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

## –:: आदेश ::–

दावा वादीगण मुताविक राजीनामा वादीगण व प्रतिवादीगण के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वो आराजी खसरा नम्बर 102 में रास्ते के सहारे–सहारे तर्फ दक्षिण का हिस्सा श्यामसुन्दर तथा उसके सहारे मुरारी, तथा मुरारी के सहारे अरूण व बृजेश व अरूण व बृजेश के सहारे राजेश व नरेश के हक में आया है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 166 में तर्फ दक्षिण का 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 का तथा उसके तर्फ उत्तर में 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का तथा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का एवं शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के कब्जे में रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 167 में से तर्फ दक्षिण प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 1/4 हिस्सा व तर्फ उत्तर को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्सा तथा 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 मुरारी का तथा शेष 1/4 हिस्सा तर्फ उत्तर वादी संख्या 2 श्यामसुन्दर का रहेगा। वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर में तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 16.01.2025 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

<u>पर्चा डिक्री</u>

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

**पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)**

राजस्व वाद संख्याः– 1/93/2023 दायर दिनांकः– 01/93/2023

जीसीएमएस नं0:– 2023/134 निर्णय दिनांकः– 16/01/2025

वउनवान

1. मुरारीलाल पुत्र शिवनारायण जाति ब्रहमण निवासी बसेठ
2. श्याम सुन्दर पुत्र शिवनारायण जाति ब्रहमण निवासी बसेठ तहसील कठूमर जिला अलवर।

——— डिक्रीदारान्

बनाम

1. घनश्याम पुत्र शिवनारायण जाति ब्रहमण निवासी बसेठ।
2. अरूण पुत्र प्रकाश जाति यादव निवासी रामगढ।
3. बृजेश पुत्र डालचन्द जाति यादव निवासी रामगढ।
4. नरेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी बसेठ।
5. राजेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी बसेठ।
6. तहसीलदार कठूमर।

——— मदयूनान

**<u>दावा तकसीम व हूक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>**

दावा वादीगण मुताविक राजीनामा वादीगण व प्रतिवादीगण के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वो आराजी खसरा नम्बर 102 में रास्ते के सहारे–सहारे तर्फ दक्षिण का हिस्सा श्यामसुन्दर तथा उसके सहारे मुरारी, तथा मुरारी के सहारे अरूण व बृजेश व अरूण व बृजेश के सहारे राजेश व नरेश के हक में आया है तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 166 में तर्फ दक्षिण का 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 का तथा उसके तर्फ उत्तर में 1/4 हिस्सा वादी संख्या 2 का तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का एवं शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के कब्जे में रहेगा। आराजी खसरा नम्बर 167 में से तर्फ दक्षिण प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का 1/4 हिस्सा व तर्फ उत्तर को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्सा तथा 1/4 हिस्सा वादी संख्या 1 मुरारी का तथा शेष 1/4 हिस्सा तर्फ उत्तर वादी संख्या 2 श्यामसुन्दर का रहेगा। वाके ग्राम बसेठ तहसील कठूमर में तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादीगण एंव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बावत अलग अलग खाता कायम करें।

आज दिनांक 16.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी हुई।

**श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)**
**उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)**

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०